ऑन लाईन नं. GCMS 2025/12

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 12/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सुंदर(विकेता एवं मेनेजर), निवासी गंगरोआ, गुटलिया, आगरा, उत्तरप्रदेश, मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर।
2. मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 26.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2024 को समय शाम 05.10 पीएम बजे को **मैसर्स मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसुंदर (विकेता व मेनेजर)** को अपना परिचय देकर संस्थान के अंदर रसोई में रखे फ्रिज के अंदर स्टील ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ **दही(खूला)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने संस्थान में रखे स्टील ट्रे के अंदर रखे 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **दही(खूला)** रेस्टोरंट में आमजन को परोसकर विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **दही(खूला)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मेनेजर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसुंदर (विक्रेता व मेनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मेनेजर **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्री श्यामसुंदर (विक्रेता व मेनेजर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आमजन को परोसकर बेचान हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ दही(खुला) 800 ग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ दही**(खूला)** का नगद भुगतान 120/– रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व प्रोपराईटर तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही(खूला)** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 16–16 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2489** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2489 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्यामसुंदर (विक्रेता व मेनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1261/Act/2024/1261 Dated 23-10-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2489 Substandard Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु अप्रार्थी को सूचित किया गया, जिस पर मालिक ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सुंदर(विक्रेता एवं मैनेजर), निवासी गंगरोआ, गुटलिया, आगरा, उत्तरप्रदेश, मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर और मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर दही(खूला) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि दिनांक 11.10.2024 को शाम 05:10 पीएम को मैसर्स केसीसीओ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, शॉप नं. 38, 40 ब्लॉक–सी रिद्धि सिद्धि हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर पर खाद्य निरीक्षक द्वारा मौके पर नेत्रपाल सिंह (मैनेजर) को अपना परिचय देकर निरीक्षण कर संस्थान के रसोई के अन्दर स्टील की ट्रे के अन्दर रखे 2 किलो दही खाद्य पदार्थ आमजन के वेचान वास्ते होना वताया। खाद्य पदार्थ दही की गुणवताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते 800 ग्राम वजनी कर क्रयशुदा पदार्थ का नगद भुगतान 120/– रू. किया। एक रूप कर वरावर भागो में वांटकर चार वोतलो में भरकर लिया गया। चारो वोतलो पर लेवल चिपकाये गये। लेवल तैयार कर चिपका दिये जिसका कोड के 2489 दर्ज किया। उक्त चारो सैम्पलो को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर कर सील वंद कर नमूना जव्ता किया गया। इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु एफएसएसए/20241198–1200 दिनांक 12.11.2024 के अनुसार खाद्यकारोवारकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पर्दा दही (खुला) का नमूना सव–स्टैण्डर्ड फूट होना पाया गया। उक्त समस्त कार्यवाही सही नही की गई। जिसका जवाव निम्न प्रकार है :–

1. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2024 को शाम 05:10 वजे मैसर्स केसीसीओ इण्डिया प्राईवेट लि. में जाकर दही का सैम्पल लेना व कार्यवाही करने का वताया जा रहा है और उसी रोज दिनांक 11.10.2024 को चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर को फूड के सैम्पल भी जमा करवाये जाने का कथन किया जा रहा है जवकि उक्त कार्यवाही करने में कम से कम 3–4 घण्टे का समय लगता है और चीफ मेडिकल हैल्थ ऑफिस शाम 6:00 वजे वंद हो जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कार्यवाही की गई है वह संदेहास्पद प्रतीत होता है।

2. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद में यह वताया गया है कि जो दही का सैम्पल लिया गया है वह दही फ्रीज में पड़ी थी दही की प्राकृतिक नियती होती है कि दही को अगर ठण्डे स्थान (फ्रीज) पर स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर की सतह पर पानी आना उसका एक स्वभाविक गुण है और इनके द्वारा अपने परिवाद में यह भी कथन किया गया है कि 800 ग्राम दही को एक रूप कर चार वोतलो में भर लिया गया और फॉर्मेलिन की 16–16 बूंदे डालकर ढक्कन वंद किया गया। दही को एक रूप करने की प्रक्रिया के वारे में नही वताया गया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

और न ही यह बताया गया है कि दही को कौनसे बर्तन में लेकर एक रूप किया गया है। जिससे इनकी सैम्पल लेने की प्रक्रिया भी दूषित है।

3. यह कि एफएसएस के नियमो के अनुसार दही, दूध इत्यादि का यदि सैम्पल लिया जाता है तो उसके काँच की बोतलो में संग्रहित किया जाता है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया को दूषित करते हुए उसे प्लास्टिक की बोतलो में संग्रहित किया गया।

4. यह कि एफएसएस के नियमो के अनुसार जिस दिन सैम्पल लिया जाता है उसके अगले कार्य दिवस में नूमनो को प्रयोगशाला में जांच हेतु जमा करवाया जाना चाहिए। जबकि दिनांक 11.10.2024 को नमूना लेने के बावजूद भी खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर में दिनांक 15.10.2024 को भिजवाया गया। जिससे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दही को संरक्षित करने की प्रक्रिया को दूषित किया है।

5. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दही को फ्रीज से निकालने के पश्चात कितने समय तक उसे प्राकृतिक वातावरण मे रखकर उसकी प्रयोगशाला में जांच की गई है इससे संबंधित कोई भी विवरण नही दिया गया।

6. यह कि इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमो के तहत जांच नही की गई और न ही की गई जाँच का विस्तृत विवरण दिया गया है। जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बदनीयती स्पष्ट होती है कि उनके द्वारा सैम्पल सही बर्तन में न भरकर व न ही समय पर उसे बीकानेर प्रयोगशाल में भिजवाया गया और न ही लिये गये सैम्पल को कितने डिग्री तापमान पर संरक्षित किया गया है उसका विवरण दिया गया।

लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण निर्दोष है और न ही उनके द्वारा कोई ऐसी मंशा प्रतीत होती है जिससे कि आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही(खूला)** का सैम्पल **K-2489** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1261/Act/2024/1261 Dated 23-10-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण निर्दोष है और न ही उनके द्वारा कोई ऐसी मंशा प्रतीत होती है जिससे कि आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dahi** bearing code No. K-2489 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सुंदर(विकेता एवं मेनेजर), निवासी गंगरोआ, गुटलिया, आगरा, उत्तरप्रदेश, मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर और मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सुंदर(विकेता एवं मेनेजर), निवासी गंगरोआ, गुटलिया, आगरा, उत्तरप्रदेश, मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर और मै. केसीओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, शाप नं. 40 ब्लॉक सी, रिद्धि–सिद्धि, हाईस्ट्रीट, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति० जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner